



कार्यालय सचिवालय

अंतरराष्ट्रीय सर्वधर्म परिषद

International Council of Religions

वेबसाइट: www.icr-int.org

Ref No.: - ICR/2025/68268

Dated: - 19/07/2025

अधिसूचना

विषय: अंतरराष्ट्रीय सर्वधर्म परिषद द्वारा वर्ष 2025 हेतु वार्षिक कार्ययोजना (Annual Action Plan 2025) एवं सांगठनिक संकल्पना (Organizational Roadmap) का आधिकारिक विमोचन, अनुमोदन तथा क्रियान्वयन विधिक आदेश।

सर्वसाधारण एवं परिषद के समस्त क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय निकायों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि अंतरराष्ट्रीय सर्वधर्म परिषद के संविधान (Constitution of the Council) के अनुच्छेद 14(3) एवं नियमावली की धारा 22 के अंतर्गत प्रदत्त विधिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शासी निकाय (Governing Council) एवं अंतरराष्ट्रीय कार्यकारी समिति (International Executive Board) के सर्वसम्मत प्रस्ताव संख्या GC-08/2024 के अनुपालन में, **वर्ष 2025 की आधिकारिक वार्षिक कार्ययोजना एवं सांगठनिक संकल्पना** को विधिक रूप से अंगीकृत, विमोचित एवं अधिसूचित किया जाता है।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रवर्तन (Short Title, Extent and Commencement)

- 1.1 यह अधिसूचना 'अंतरराष्ट्रीय सर्वधर्म परिषद वार्षिक कार्ययोजना एवं सांगठनिक संकल्पना अधिसूचना, 2025' कही जाएगी।
- 1.2 यह अधिसूचना परिषद के समस्त सदस्य देशों, क्षेत्रीय संभागों, राष्ट्रीय शाखाओं, उप-समितियों, संबद्ध संस्थानों एवं अधिकृत प्रतिनिधियों पर तत्काल प्रभाव से लागू होगी।
- 1.3 यह विधिक दस्तावेज 01 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक की कालावधि के लिए प्रभावी व बाध्यकारी रहेगा।

2. सांगठनिक संकल्पना एवं मूल ध्येय (Vision and Core Objectives 2025)

वर्ष 2025 हेतु परिषद की मुख्य संकल्पना 'वैश्विक सौहार्द, मानवीय गरिमा एवं सतत अंतर-धार्मिक संवाद' पर केंद्रित है। इसके प्रमुख अधिदेश निम्नलिखित हैं:

अंतर-धार्मिक संवाद (Interfaith Dialogue): विभिन्न धर्मों, सम्प्रदायों और सांस्कृतिक धाराओं के मध्य संवाद, समन्वय और पारस्परिक विश्वास की सुदृढ़ स्थापना।

शांति एवं संघर्ष निवारण (Peace & Conflict Resolution): स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर धार्मिक सन्द्वाव और शांति स्थापना हेतु मध्यस्थता एवं सौहार्द मंचों का संचालन।

युवा एवं महिला सशक्तीकरण (Youth & Women Empowerment): सर्वधर्म शांति पहलों में युवा नेतृत्व और महिला प्रतिनिधियों की 40% न्यूनतम सहभागिता सुनिश्चित करना।

मानवीय सेवा एवं सतत विकास (Humanitarian Aid & SDGs): संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के अनुरूप भुखमरी उन्मूलन, पर्यावरण संरक्षण और आपदा राहत में धार्मिक संस्थाओं का समन्वय।

3. वर्ष 2025 हेतु सामरिक कार्ययोजना स्तंभ एवं त्रैमासिक कार्यसूची (Strategic Action Pillars)

परिषद द्वारा वर्ष 2025 के 365 दिवसीय कैलेंडर को चार रणनीतिक तिमाहियों (Quarters) में विभाजित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:

तिमाही (Quarter)	कार्ययोजना का प्रमुख स्तंभ (Key Pillar)	प्रस्तावित प्रमुख कार्यक्रम / गतिविधि	लक्षित हितधारक / प्रभाव
प्रथम तिमाही (Q1) जनवरी - मार्च	सांगठनिक सुदृढीकरण एवं नीतिगत संवाद	<ul style="list-style-type: none"> राष्ट्रीय व जोनल सम्मेलनों का आयोजन 'सर्वधर्म संवाद मंच' की स्थापना 	समस्त राष्ट्रीय चैप्टर व धर्मगुरु
द्वितीय तिमाही (Q2) अप्रैल - जून	वैश्विक शांति दूत एवं युवा सहभागिता	<ul style="list-style-type: none"> 'Global Youth Interfaith Fellowship' महिला समन्वय कार्यशालाएं 	युवा प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता
तृतीय तिमाही (Q3) जुलाई - सितंबर	मानवीय सेवा एवं जलवायु संरक्षण	<ul style="list-style-type: none"> 'ग्रीन फेथ' पर्यावरण संरक्षण अभियान अंतरराष्ट्रीय आपदा राहत कोष गठन 	नागरिक समाज, पर्यावरणविद
चतुर्थ तिमाही (Q4) अक्टूबर - दिसंबर	विश्व शांति सम्मेलन एवं वार्षिक समीक्षा	<ul style="list-style-type: none"> 'विश्व सर्वधर्म शांति महासम्मेलन 2025' वार्षिक प्रगति रिपोर्ट एवं अंकेक्षण 	वैश्विक प्रतिनिधिमंडल व सार्वजनिक निकाय

4. वित्तीय प्रावधान एवं बजट आवंटन (Financial Outlay & Resource Allocation)

वार्षिक कार्ययोजना 2025 के सुचारू निष्पादन हेतु कुल अनुमोदित बजट \$5,000,000 (अथवा समतुल्य भारतीय मुद्रा ₹41.50 करोड़) का आनुपातिक आवंटन निम्नवत् निर्धारित किया गया है:

क्र.सं.	कार्यक्षेत्र / मद (Functional Domain)	आवंटन प्रतिशत	आवंटित राशि (USD)	अनुमोदित प्राधिकारी
1	अंतर-धार्मिक संवाद एवं शांति सम्मेलन	35%	\$1,750,000	शांति संभाग समिति
2	मानवीय सहायता एवं जनकल्याणकारी परियोजनाएं	25%	\$1,250,000	राहत एवं कल्याण बोर्ड
3	युवा, महिला नेतृत्व एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम	20%	\$1,000,000	युवा विकास परिषद
4	प्रकाशन, अनुसंधान एवं जनसंपर्क	10%	\$500,000	अनुसंधान एवं मीडिया प्रको.
5	प्रशासनिक व्यय, अनुवीक्षण एवं आकस्मिकता	10%	\$500,000	केंद्रीय सचिवालय
कुल अनुमोदित बजट		100%	\$5,000,000	शासी निकाय

5. सांगठनिक संरचना, दायित्व एवं अनुपालन तंत्र (Governance & Compliance)

5.1 केंद्रीय सचिवालय कार्ययोजना के समग्र क्रियान्वयन, समन्वय एवं समन्वयकारी पर्यवेक्षण हेतु उत्तरदायी होगा।

5.2 प्रत्येक राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय इकाई द्वारा प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर 15 कार्यदिवसों के भीतर अपनी 'त्रैमासिक अनुपालन आख्या' (Quarterly Compliance Report) केंद्रीय निगरानी प्रकोष्ठ को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

5.3 विधिक एवं वित्तीय पारदर्शिता बनाए रखने हेतु समस्त व्यय अंतरराष्ट्रीय लेखा मानकों (IFRS) एवं परिषद की आंतरिक लेखापरीक्षा समिति द्वारा संप्रेक्षित किए जाएंगे।

6. विधिक बाध्यता एवं निरस्तीकरण (Legal Validity & Supersession)

यह अधिसूचना पूर्व में जारी उन समस्त तदर्थ दिशा-निर्देशों एवं परिपत्रों को निष्प्रभावी व अधिक्रमित (supersede) करती है, जो इस कार्ययोजना 2025 के उपबंधों के प्रतिकूल या असंगत हैं। किसी भी संशय या विधिक व्याख्या की स्थिति में अध्यक्ष, अंतरराष्ट्रीय सर्वधर्म परिषद का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।

भवदीय,



अधिकृत प्रतिनिधि/विधि प्रकोष्ठ
अंतरराष्ट्रीय सर्वधर्म परिषद

दिनांक: 19/07/2025



अधिकृत प्रतिनिधि/विधि प्रकोष्ठ
अंतरराष्ट्रीय सर्वधर्म परिषद